# न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी,एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 12/2018
GCMS NO. : 2018/00027

-: प्रार्थीगण:- बनाम -: अप्रार्थी :-

1. जीवणराम पुत्र पोकरराम, जाति- जाट,
2. प्रहलादसिंह पुत्र शंकर सिंह जाति- रावणा राजपूत, निवासीगण- डिगरना, जैतारण, जिला- पाली, राज०।

1. तहसीलदार, जैतारण जिला-पाली

**रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956**

**तारीख रजू:. 18/01/2018**

उपस्थित:- 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता वादी।
2. सरकारी पैरोकार तहसीलदार, जैतारण प्रतिवादी।

**-:: निर्णय ::-** **दिनॉक:- 25/02/2021**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 LR Act. के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा डिगरना पटवार हल्का डिगरना में खसरा नम्बर 498/3 रकबा 4-06 बीघा, खसरा नम्बर 498/4 रकबा 2-02 बीघा की भूमि आई हुई है। जिसमें खसरा नम्बर 498/3 प्रार्थी संख्या 01 जीवण की खातेदारी है एवं खसरा नम्बर 498/4 प्रार्थी संख्या 02 प्रहलादसिंह की खातेदारी भूमि है। उपरोक्त वर्णित आराजी में प्रार्थीगण अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। नकल जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी का मूल खसरा 498 था, जिसमें ज्यों ज्यों एलॉटमेंट और बंटवाड़ा हुये वैसे वैस बटा नम्बर लगते गये, और इसी अनुरूप वर्तमान में प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में है। परन्तु खसरा नम्बर 498 मूल की जो किस्म थी वह बारानी अव्वल थी। जिसके बटा नम्बर लगने पर खसरा नम्बर 498/1 की किस्म बारानी अव्वल राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है। इसी अनुरूप खसरा नम्बर 498/2 की भी किस्म बारानी अव्वल इन्द्राज है। परन्तु प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 498/3 व 498/4 की किस्म तत्कालीन आर.आई. व पटवारी ने गलती से गैर [illegible] रोंग एन्ट्री है। जिसको दुरूस्त किया जाकर गैर मुमकिन की जगह [illegible] किस्म का इन्द्राज किया जावे। खसरा नम्बर 498 मूल [illegible] पर वक्त सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक काश्त [illegible] एवं उक्त कृषि भूमि काबिल काश्त के है। जिसके प्रमाण स्वरूप खसरा गिरदावरी [illegible]र्थना पत्र के साथ पेश है। जिसमें भी स्पष्ट रूप से उक्त आराजी में फसल बोने का इन्द्राज है, तो इससे स्पष्ट है कि- प्रार्थीगण की आराजी की किस्म में जो गैर मुमकिन इन्द्राज हो रखा है वह एक गलत इन्द्राज है। जिसे दुरूस्त किया जाकर गैर मुमकिन की

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.31 15:18:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन ... अधिकारी

जगह बारानी अव्वल किस्म के रूप में इन्द्राज किये जाने का आदेश प्रदान करावे। इस हेतु यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 का अप्रार्थी के विरूद्ध सादर पेश है। प्रार्थीगण ने दिनांक 03.01.2018 को राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त की तब जानकारी होनें पर अप्रार्थी के समक्ष उपस्थित होकर राजस्व रेकर्ड में लिपिकिय भूल का शुद्धिकरण करने बावत प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अप्रार्थी ने स्पष्ट शब्दों में उसको इन्कार कर दिया है व कहा कि इस हेतु आप सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र/कार्यवाही किस्म दुरुस्ती की पेश करावे, तब प्रार्थीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थना पत्र राजस्व रेकर्ड में दुरुस्ती का श्रीमान के समक्ष सादर पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी मौजा डिगरना में स्थित होने से श्रीमान जी के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में होने से सुनवाई किए जाने का अधिकार श्रीमान को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र पर निर्धारित न्याय शूल्क साथ पेश है। अन्य उजर बर वक्त बहस के निवेदन किए जाऐगें। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजातों के पेश कर निवेदन है कि सरहद मौजा डिगरना पटवार हल्का डिगरना में खसरा नम्बर 498/3 रकया 4-06 बीघा, खसरा नम्बर 498/4 रकबा 2-02 बीघा की भूमि में किस्म गैर मुमकिन को हटाकर किस्म बारानी अव्वल की दुरुस्ती किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस् वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार जैतारण की ओर रिपोर्ट पेश की गई जो सा.मि. है। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार जैतारण ने अपनी रिपोर्ट पत्र क्रमांक/भू.अ./20/5638 दिनांक 31.12.2020 में कथन किया कि बिन्दु संख्या 1. राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 ग्राम डिगरणा के अनुसार खसरा नम्बर 498/3 रकबा 4-06 बीघा किस्म गे.मु. एवं 498/4 रकबा 2-04 बीघा किस्म गे.मु. दर्ज है। बिन्दु सं. 2. पटवारी रिपोर्ट अनुसार वक्त सेटलमेन्ट खसरा नम्बर 498 किस्म मगरा दर्ज है जिसमें वक्त आंवटन खसरा नम्बर 498/1, 498/2 की किस्म मगरा से बा.अ. दर्ज कर दी गई जबकि खसरा नम्बर 498/3, 498/4 की किस्म गे.मु. ही चली आ रही है। वर्तमान में उक्त भूमि काबिल काश्त है जो संलग्न गिरदावरी की प्रमाणित प्रति से स्पष्ट है। बिन्दु सं. 3. हल्का पटवारी डिगरणा की रिपोर्ट दिनांक 31.12.2020 अनुसार वर्तमान में उक्त भूमि काबिल काश्त है। जो संलग्न गिरदावरी से भी स्पष्ट प्रतीत है। वांछित अनुतोष श्रीमान के न्यायालय से सम्बन्धित है। बिन्दु सं. 4. कानूनी बिन्दु है। बिन्दु सं. 5. कानूनी बिन्दु है। बिन्दु सं. 6. कानूनी बिन्दु है। बिन्दु सं. 7. वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष श्रीमान के न्यायालय से सम्बन्धित है। [illegible]कारी पैरोकार एवं वकील प्रार्थी की सुनी गई।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया [illegible] पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान व[illegible] वादी पर गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

1. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अनुसार वादग्रस्त आराजी ग्राम डिगरना तहसील जैतारण के खसरा संख्या 498/3 रकबा 04-06 बीघा, खसरा संख्या 498/4 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.31 15:18:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं [illegible] अधिकारी
जैतारण (पाली)

02-02 बीघा आराजी में से खसरा नम्बर 498/3 का प्रार्थी जीवणराम की खातेदारी एवं खसरा संख्या 498/4 प्रार्थी प्रहलाद सिंह की खातेदारी भूमि है। उपर्युक्त भूमि का मूल खसरा 498 था जिसमें समय समय पर आवंटन अनुसार बट्टा नम्बर लग कर नवीन खसरा संख्या अंकित की गई। मूल खसरा संख्या 498 की किस्म बारानी अव्वल थी। खसरा संख्या 498/1 की किस्म बारानी अव्वल दर्ज रिकॉर्ड है परन्तु प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 498/3 व 498/4 की किस्म तत्कालिन राजस्व कार्मिकों द्वारा सहवन से त्रुटिपूर्ण गैरमुमकिन दर्ज कर दिया गया। जिसे दुरूस्त किया जाकर बारानी अव्वल दर्ज किया जावें।

2. जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 ग्राम डिगरना में खसरा संख्या 498/3 रकबा 04-06 बीघा एवं खसरा संख्या 498/4 रकबा 02-02 की किस्म गैरमुमकिन दर्ज है तथा जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 ग्राम डिगरना में खसरा संख्या 498/1 रकबा 05-00 बीघा एवं खसरा संख्या 498/2 रकबा 05-00 बीघा की किस्म बारानी अव्वल दर्ज है।

3. तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना के अनुसार वक्त सेटलमेन्ट खसरा संख्या 498 की किस्म मगरा दर्ज थी। जिसमें वक्त आवंटन खसरा संख्या 498/1 व 498/2 की किस्म मगरा से बारानी अव्वल दर्ज कि गई, जबकि खसरा संख्या 498/3 व 498/4 की किस्म गैरमुमकिन दर्ज कर दी गई। वर्तमान उक्त भूमि काबिल काश्त है, जो गिरदावरी सम्वत् 2074 से स्पष्ट है।

4. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी का मूल खसरा संख्या 498 है जिसमें से भूमिहीन पात्र कृषकों को समय समय पर कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की गई तथा ऐसी काबिल काश्त भूमियां जो इस प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी कि किस्म गैरमुमकिन(नाकाबिल काश्त) दर्ज नहीं की जा सकती, क्योंकि काबिल काश्त भूमियों को ही कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की जाती है। इसी खसरा संख्या में से कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित खसरा संख्या 498/1 व 498/2 की किस्म बारानी अव्वल दर्ज है तो ऐसी दशा में इसी खसरे में से बने खसरा संख्या 498/3 व 498/4 की भूमि की किस्म बारानी अव्वल ही दर्ज कि जानी चाहिये थी, परन्तु अभिलेख से यह स्पष्ट है कि उक्त खसरान की भूमि की किस्म त्रुटिपूर्ण रूप से गैरमुमकिन अंकित कर दी गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि केवल गैरमुमकिन नाम से कोई किस्म नहीं हो सकती, क्योंकि जो नाकाबिल काश्त हो वह अपने स्वरूप एवं प्रकृति के अनुरूप गैरमुमकिन नदी, नाला, पहाड़, रास्ता, खड्डा..... आदि [illegible] में दर्ज की जाती है। इसलिये केवल गैरमुमकिन के रूप में [illegible] नहीं हो सकती।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.31 15:18:23 IST
Reason: SelfAttested

5. अतः उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन, उपलब्ध दस्तावेजात्, तहसीलदार जैतारण के जवाब प्रार्थना पत्र, वादग्रस्त आराजी की खसरा गिरदावरी सम्वत् 2074 तथा मूल खसरा संख्या 498 में से कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित खसरा संख्या 498/1 व 498/2 की भूमि की दर्ज किस्म बारानी अव्वल के अनुरूप खसरा संख्या 498 में

से ही कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 498/3 व 498/4 की भूमि की किस्म त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज चली आ रही गैरमुमकिन को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर सही किस्म बारानी अव्वल दर्ज किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

**–: आदेश :–**

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें, सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम डिगरना तहसील–जैतारण, जिला– पाली के खसरा संख्या 498/3 रकबा 04–06 बीघा, खसरा संख्या 498/4 रकबा 02–02 बीघा की त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज किस्म ***"गैरमुमकिन"*** को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर भूमि की सही किस्म ***"बारानी अव्वल"*** दर्ज करते हुये तहसीलदार जैतारण को इसी अनुरूप भू–अभिलेख अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है, अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 25/02/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.31 15:18:23 IST
Reason: SelfAttested